आदेश का क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

22.08.2019

न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ,राजमहल।
नामांतरण अपील वाद सं0– 03/2018–19
ध्रुव भगत
बनाम
रीता देवी वगै0
आदेश

यह नामांतरण अपील वाद आवेदक ध्रुव भगत, पिता– स्व0 नथुनी भगत, सा0– भरतिया कॉलोनी, जिला– साहेबगंज के आवेदन पर अंचल अधिकारी, राजमहल के नामांतरण वाद सं0 1311/2011–12 में दिनांक 29.08.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर की गई है। साथ ही धारा 05 के तहत कालक्षंति आवेदन दाखिल की गयी है। दाखिल आवेदन के अवलोकन तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात संतुष्ट होकर आवेदन को स्वीकृत कर दिनांक 22.10.2018 को वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

इस नामांतरण अपील वाद में प्रश्नगत भूमि की विवरणीः–

मौजा	खाता सं0	दाग सं0	रकवा
दिलावरपुर	202	508	00–13–00

आज उभय पक्ष की ओर से वकालतन हाजरी दाखिल की गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि विक्रेता मो0 मालेक शेख, पिता– मस्त अली शेख, सा0– नयाबाजार, थाना– राजमहल, जिला– साहेबगंज से निबंधित केवाला सं0 2073 दिनांक 01.04.2010 के द्वारा रकवा 06 कट्ठा 10 धूर तथा मो0 मुस्लिम शेख, पिता– स्व0 नामु शेख, सा0– नयाबाजार, थाना– राजमहल, जिला– साहेबगंज से निबंधित केवाला सं0 2074 दिनांक 01.04.2010 के द्वारा रकवा 06 कट्ठा 10 धूर यानि कुल रकवा 13 कट्ठा जमीन अपीलार्थी के द्वारा मौजा– दिलावरपुर, जमाबंदी नं0– 202, दाग नं0– 508 अंतर्गत क्रय कर प्राप्त किया गया है। फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा क्रय की गयी जमीन का नामांतरण हेतु अंचल अधिकारी, राजमहल को आवेदन दिये। उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राजमहल के द्वारा नामांतरण वाद सं0 1311/2011–12 प्रारंभ कर संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। हल्का कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अपीलार्थी का प्रश्नगत भूमि पर कभी भी दखल कब्जा नहीं रहा है, उक्त भूमि पर बटोरन हजारी वगै0 का वर्षो से शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, प्रतिवेदित किया गया है। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राजमहल के द्वारा अपीलार्थी के आवेदन को खारिज कर दिया गया है, जो सरासर गलत है। इस संदर्भ में उनका यह भी कहना है कि हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा बिना स्थल जाँच किये ही जाँच प्रतिवेदन तैयार किया गया। जिसपर अंचल अधिकारी, राजमहल ने भी सही समझ कर

Scanned with CamScanner

अपीलार्थी के आवेदन को खारिज कर दिये।

अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का प्रार्थना है कि अंचल अधिकारी, राजमहल के नामांतरण वाद सं0– 13121/2011–12 में दिनांक 29.086.2017 को पारित आदेश को अपास्त (set-a-side) किया जाय।

आज उत्तरवादी की ओर से वकालतन हाजरी दाखिल की गई। उत्तरवादी की ओर से दिनांक 22.07.2019 को निदाबी नामा एकरारनाम दस्तावेज दाखिल की गई है। अवलोकन किया। उक्त दस्तावेज के द्वारा अपीलार्थी ध्रुव भगत के पक्ष में निष्पादन करते हुये प्रश्नगत भूमि पर ध्रुव भगत का शांतिपूर्वक भोग दखल व स्वामित्व अधिकार चला आ रहा है, संबंधी उल्लेख किया गया है। साथ ही अपीलार्थी के द्वारा क्रय की गई जमीन पर न तो हमलोगों का और ना ही हमलोगों के उत्तराधिकारी का वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का आपत्ति रहेगा।

अंचल अधिकारी, राजमहल से मूल अभिलेख प्राप्त। अवलोकन किया। मूल अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का वर्णित भूमि पर कभी भी दखल कब्जा नहीं रहा है। बल्कि उक्त भूमि पर विपक्षीगण बटोरन हजारी वगै0 का वर्षों से शातिपूर्ण दखल कब्जा है तथा विपक्षीगण उक्त भूमि पर झोपड़ी बनाकर सपरिवार शातिपूर्वक निवास कर रहे हैं। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राजमहल ने अपीलार्थी के आवेदन को खारिज किये हैं।

उपरोक्त तमाम स्थितियों एवं परिस्थितियों पर सम्यक विचारोपरांतएवं निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक का विवादित भूमि पर निर्विवाद रूप से दखल कब्जा नहीं है। जबकि नामांतरण का आधार मुख्य रूप से दखल होता है।

विपक्षियों ने वर्तमान वाद में आवेदन दाखिल करते हुए यह कहा है कि उनका विवादित भूमि पर दखल नहीं है।

अतएव उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद की कार्रवाई अंचल अधिकारी को इस निदेश के साथ समाप्त की जाती है कि दखल एवं जरूरी कागजात के आधार पर पुनः आवेदन आमंत्रित करते हुए बिहार अभिधारी होल्डिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम 1973 के अनुसार न्यायोचित नियमसंगत निर्णय लें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
राजमहल

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
राजमहल।

116/ध्रुव
30/09/19

Scanned with CamScanner